डिक्रीदार के अधिवक्ता व मद्यून के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

साथ ही पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य जानकारी में आया कि मद्यून की ओर से पूर्व में डी डी संख्या 156532 दिनांक 09.07.2025 इस न्यायालय में जमा कराया गया है जिसकी अवधि आज समाप्त हो चुकी है जिसे रिन्युअल कराया जाना आवश्यक है। अतः उक्त डी डी को रिन्युवल कराये जाने के लिए मूल डी डी श्री सौरभ शर्मा अधिशाषी अभियंता को वापिस लौटाया जाकर उसकी प्राप्ति आदेशिका पर सुनिश्चित की गयी साथ ही उन्हें निर्देश दिये जाते हैं कि वह उसे रिन्युवल कराकर दिनांक 09.10.2025 को न्यायालय में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि इसमें डिक्रीदार तीन पक्षकार हैं जिनके नाम कृष्ण कुमार अग्रवाल, मोहन लाल अग्रवाल व रमेश चन्द्र अग्रवाल हैं, अतः उक्त डी डी में जो राशि वर्णित है, वह राशि तीनों पक्षकारान प्रत्येक के 1/3 हिस्से की राशि जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

मूल DD संख्या 156532 राशि 749987 दि. 9/7/25 प्राप्त की।
Saurabh Sharma
EE, PWD Rajasthan

पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 09.10.2025 को पेश हो।

08/10/2025

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज0)

कृष्ण कुमार बनाम राज. सरकार
इजराय सं. 07/2001
दिनांक 08.10.2025

डिक्रीदार के अधिवक्ता उपस्थित। मद्यून की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री मुकेश सिकरवार उपस्थित राजकीय अभिभाषक के साथ श्री सौरभ शर्मा अधिशाषी अभियंता उपस्थित। उनके द्वारा निवेदन किया गया कि वे राशि जमा कराने को तैयार हैं लेकिन अभी राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है इसलिए उन्हें समय दिया जावे। डिक्रीदार के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण लम्बे समय से विचाराधीन है अतः कोई समय प्रदान नहीं किया जावे, हम बहस के लिए तैयार हैं, बहस सुनी जावे।

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज0)